

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-28/2013-  
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक

, 2014.

सेवा में,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

श्री विश्वचन्द्र खण्डेलवाल,  
मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०,  
द्वारा-श्री रामनाथ सिन्हा,  
S/O श्री नारायण प्रसाद,  
पहाड़ी, रसीदाचक, बड़ी पहाड़ी,  
गुलजारबाग, अगमकुँआ, पटना-07

कृ० कृ० नि० सू०, बिहार, पटना  
प्रागत सं०  
दिनांक

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-87 दिनांक 14.11.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इंडोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित कम्पनी के कीटनाशियों का इंडोर्समेन्ट अनुज्ञप्ति संख्या-87 दिनांक 14.11.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 तक में किया जाता है।

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०	1	Zineb 75%WP
2	एग्रो लाईफ साईंस कारपोरेशन Sicop इन्डस्ट्रीयल एरिया कडुआ, जम्मू	2	Lambda Cyhalothrin 4.9% CS

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०,द्वारा-श्री रामनाथ सिन्हा, S/O श्री नारायण प्रसाद, पहाड़ी, रसीदाचक, बड़ी पहाड़ी, गुलजारबाग, अगमकुँआ, पटना-07

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

①

ज्ञापांक

5212

/कृ0, पटना, दिनांक 21-11-2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।